

पत्रांक 1662 / 2c
सेवा में,

दिनांक 07 / 11 / 2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढ़वाल।

विषय— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020)

- सन्दर्भ:-
- 1- प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी गढ़वाल का पत्र सं. 1681/12-1 दिनांक 16.10.2025।
 - 2- इस कार्यालय का पत्रांक 1562/2सी. दिनांक 13.10.2025।
 - 3- क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/38/2022/एफ.सी. दिनांक 07.08.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सन्दर्भित बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित पत्र द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति में इंगित शर्तों के क्रम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या गठित कर वांछित 05 मूल हार्ड प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है—

क्र०स०	बिन्दु	खण्ड की आख्या																																				
(क)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।																																					
1	प्रतिपूरक वनीकरण – (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 63.924 है. अवनत वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत वन भूमि का विवरण निम्न है— <table><tr><th>क्र. स.</th><th>अवनत भूमि का विवरण</th><th>कक्ष संख्या</th><th>क्षेत्रफल (है.मे.)</th></tr><tr><td>1</td><td>अगस्वाड़ा</td><td>क.स. -6</td><td>20.924</td></tr><tr><td>2</td><td>गबनी III</td><td>क.स. -9</td><td>5.00</td></tr><tr><td>3</td><td>गबनी III</td><td>क.स. -9</td><td>5.00</td></tr><tr><td>4</td><td>ग्वारी</td><td>क.स. -9</td><td>5.00</td></tr><tr><td>5</td><td>अमेली IV</td><td>क.स. -8</td><td>5.00</td></tr><tr><td>6</td><td>आदवनी</td><td>क.स. -7</td><td>8.00</td></tr><tr><td>7</td><td>दीबा III</td><td>क.स. -7</td><td>15.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>63.924</td></tr></table>	क्र. स.	अवनत भूमि का विवरण	कक्ष संख्या	क्षेत्रफल (है.मे.)	1	अगस्वाड़ा	क.स. -6	20.924	2	गबनी III	क.स. -9	5.00	3	गबनी III	क.स. -9	5.00	4	ग्वारी	क.स. -9	5.00	5	अमेली IV	क.स. -8	5.00	6	आदवनी	क.स. -7	8.00	7	दीबा III	क.स. -7	15.00	योग			63.924	बिन्दु पर वन विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।
क्र. स.	अवनत भूमि का विवरण	कक्ष संख्या	क्षेत्रफल (है.मे.)																																			
1	अगस्वाड़ा	क.स. -6	20.924																																			
2	गबनी III	क.स. -9	5.00																																			
3	गबनी III	क.स. -9	5.00																																			
4	ग्वारी	क.स. -9	5.00																																			
5	अमेली IV	क.स. -8	5.00																																			
6	आदवनी	क.स. -7	8.00																																			
7	दीबा III	क.स. -7	15.00																																			
योग			63.924																																			

	(ख) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की KML फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित SMC कार्य WLMP क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	बिन्दु पर वन विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।															
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य क- इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ सी (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 एफ सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ सी दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण) नियम 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 31.962 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान Demand Note अनुसार UTTARANCHAL CAMPA के पक्ष में किया जा चुका है जिसका विवरण निम्नानुसार है- <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>NPV</td><td>4,13,22,072.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Compensatory Afforestation</td><td>3,47,13,097.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Wildlife Conservation cum Mitigation plan</td><td>1,74,95,360.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Soil and Moisture Conservation plan</td><td>41,48,215.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>9,76,78,744.00</td></tr> </table> UTR No - CNRBR52025091965915321 संलग्नक - 1 संलग्नक - 2	1	NPV	4,13,22,072.00	2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00	3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00	4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00	Total		9,76,78,744.00
1	NPV	4,13,22,072.00															
2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00															
3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00															
4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00															
Total		9,76,78,744.00															
	(ख)- विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है। संलग्नक - 3															
3	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025	शर्त मान्य है एवं अनुपालन किया जायेगा।															
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 2406 वृक्षों 76 सैपलींग्स से अधिक नहीं होगी। पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है एवं अनुपालन किया जायेगा।															

5	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगी तथा Mitigative Measures में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Under Pass /Overpass अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं Mitigative Measures (यदि लागू हो) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।															
6	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन क्षेत्र में मलबा निस्तारण नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं स्वीकृत मलबा निस्तारण स्थल (Dumping Zone) में ही मलबे का निस्तारण किया जायेगा।															
7	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जायेगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	शर्त मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है। संलग्नक - 4															
8	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	WLMP एवं SMCP का प्रस्ताव आंगणन वन विभाग द्वारा गठित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त वांछित धनराशि का Demand Note प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था। उक्त धनराशि UTTARANCHAL CAMPA में जमा की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है। <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>NPV</td><td>4,13,22,072.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Compensatory Afforestation</td><td>3,47,13,097.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Wildlife Conservation cum Mitigation plan</td><td>1,74,95,360.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Soil and Moisture Conservation plan</td><td>41,48,215.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>9,76,78,744.00</td></tr> </table> UTR No - CNRBR52025091965915321 संलग्नक - 1 के अनुसार। संलग्नक - 2 के अनुसार।	1	NPV	4,13,22,072.00	2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00	3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00	4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00		Total	9,76,78,744.00
1	NPV	4,13,22,072.00															
2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00															
3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00															
4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00															
	Total	9,76,78,744.00															

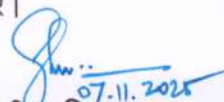
9	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनोंक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है एवं निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
10	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण- II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	शर्त मान्य है एवं निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा एवं सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन करेगा। जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। संलग्नक - 5
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	अनुपालन किया गया है। विवरण बिन्दु संख्या 02 एवं 08 के अनुसार।
13	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जाएगी।
ख-	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अनुमोदित भूमि Degraded Forest Land श्रेणी की है। जिस पर ही सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अनुमोदित भूमि पूर्व से ही वन विभाग के स्वामित्व में है।

3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अनुमोदित योजना अनुसार आंकलित धनराशि हेतु वन विभाग से प्राप्त Demand Note अनुसार वांछित धनराशि UTTARANCHAL CAMPA में जमा की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है। <table border="1" data-bbox="1026 398 1527 884"> <tr> <td>1</td><td>NPV</td><td>4,13,22,072.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Compensatory Afforestation</td><td>3,47,13,097.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Wildlife Conservation cum Mitigation plan</td><td>1,74,95,360.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Soil and Moisture Conservation plan</td><td>41,48,215.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>9,76,78,744.00</td></tr> </table> UTR No - CNRBR52025091965915321 संलग्नक - 1 के अनुसार। संलग्नक - 2 के अनुसार।	1	NPV	4,13,22,072.00	2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00	3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00	4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00	Total		9,76,78,744.00
1	NPV	4,13,22,072.00															
2	Compensatory Afforestation	3,47,13,097.00															
3	Wildlife Conservation cum Mitigation plan	1,74,95,360.00															
4	Soil and Moisture Conservation plan	41,48,215.00															
Total		9,76,78,744.00															
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है एवं अनुपालन किया जायेगा।															
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है एवं अनुपालन किया जायेगा।															
6	वैकल्पिक / प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन विभाग से सम्बन्धित है। अतः वन विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।															
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	वन विभाग से सम्बन्धित है। अतः वन विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है।															
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः लागू नहीं है।															
9	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है। संलग्नक - 6															

10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है। संलग्नक - 7
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है। संलग्नक - 8
12	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward Bearings अंकित हो।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 9
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central Verge पर Strip Plantation करेगी।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 10
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 11
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 12
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 13
17	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 14
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
19	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project- Bird's nests artificially made out of eco & friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable-	शर्त मान्य है। 

20	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable-	शर्त मान्य है।
21	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable -	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन विभाग के पर्यवेक्षण में एवं प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं करायी जायेगी।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 15
24	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है। अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक- 16
25	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून द्वारा निर्गत संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति में इंगित शर्तों के क्रम में उपरोक्तानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि कृपया वांछित सभी अनुपालन किये जा चुके हैं। अतः कृपया वन भूमि प्रकरण में वांछित वृक्षों के पातन हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


 अधिशासी अभियन्ता,
 रा.मा. खण्ड, लो.नि.वि.,
 श्रीनगर

पत्रांक / दिनांक / 11 / 2025
प्रतिलिपि-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक अभियन्ता चतुर्थ/पंचम, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं. राजबीर सिंह चौहान)
अधिशाली अभियन्ता,
रा.मा. खण्ड, लो.नि.वि.,
श्रीनगर

संलग्न - 1

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/45296/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/45296/2020) Satpuli to Srinagar (National Highway-119) Civil Soyam Forest 20.115 Ha., Panchayat Forest 0.151 Ha., Reserved Forest 4.367 Ha., Muck Disposal 7.92 Ha.	ROAD452962020665	6145296665	16 Feb 2024	CA: 34713097/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- Wildlife Conservation cum Mitigation Plan : NPV: 41322072/- Soil and Moisture Conservation Plan : 4148215/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 97678744/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 30 Aug 2025 Nodal Officer On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 05 Sep 2025 Transaction Date : 19 Sep 2025	Demand Letter (../writereaddata/Func Generated Challan (../
2	FP/UK/ROAD/45326/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/45326/2020) Kotdwara-Satpuli-Jwalpa-Srinagar section (from Km 139.000 to 276.000) of NH -119 in the state of Uttarakhand Section Form km 139.000 to 196.600	ROAD453262020209	6145326209	23 Nov 2023	CA: 21541968/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- Other Charges : 0/- NPV: 23589263/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 45131231/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Mar 2024 Transaction Date : 17 Jan 2024	Demand Letter (../writereaddata/Func Generated Challan (../



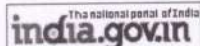
(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 842 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, अगस्त, 14/2025

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
रा० मा० खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 119/534 किमी० 196.00 से कि०मी० 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है० (पूर्व में 32.553 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा०रा०, लो०नि०वि०, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन। (Online No:- FP/UK/ROAD/45296/2020).

सन्दर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/३८/२०२२/एफ०सी० दिनांक ०७-०८-२०२५

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन, सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, महोदय उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-1191/3-5-2, दिनांक 26.03.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 की निर्धारित दरों पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

- 1- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण-

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल	-	31.962 है०
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि का क्षेत्रफल -	-	63.924 है०
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति है०	-	5,43,037.00
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि-		$63.924 \times 5,43,037.00 = 3,47,13,097.00$

(रु० तीन करोड़ सैंतालीस लाख तेरह हजार सत्तानबे) मात्र
- 2- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2011-एफ०सी०, दिनांक 06-01-2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.4
एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	रु० 12,92,850.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	31.962 है०
एन०पी०वी० की धनराशि	-	$31.962 \times 12,92,850.00 = \text{रु० } 4,13,22,071.70$ या रु० 4,13,22,072.00

(रु० चार करोड़ तेरह लाख बाईस हजार बहत्तर) मात्र

उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं० 8 के अनुसार आपके द्वारा Wildlife Conservation cum Mitigation Plan एवं Soil and Moisture Conservation Plan की धनराशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी:-

- 3- उक्त पेयजल योजना के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महोदय उत्तराखण्ड, देहरादून से अनुमोदन के उपरान्त Wildlife Conservation cum Mitigation Plan की धनराशि रु० - 1,74,95,360.00 (रु० एक करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीसहजार तीन सौ साठ) मात्र।

P.T.O

- 4- उक्त पेयजल योजना के सापेक्ष वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी से अनुमोदन उपरान्त Soil and Moisture Conservation Plan की धनराशि रु0-41,48,215.00 (रु0 इकतालीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ पन्द्रह) मात्र।

अतः आप उक्तानुसार डिमांड नोट की धनराशि मदवार जमा करने पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रश्न एवं उत्तर में बनाकर 05 मूल हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय प्रेषित करते हुये ऑन लाईन अपलोड की कार्यवाही पूर्ण करें।

भवदीय, 1

Saw
(स्वप्निल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 842 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

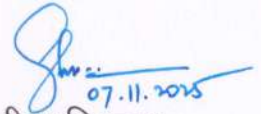
प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

Saw
(स्वप्निल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 है) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा।

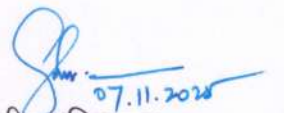


अधिसासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण वन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।


07.11.2020
अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

⑤

From-I

संलग्नक - 5

(For linear projects)

Government of India office of the District Collector Pauri Garhwal 14/10/2019

No. संख्या- 64/8- एल. ए. सी. - 2019-20)

Date 03/09/2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidence, for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that 33 Ha. of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot for National Highway Satpuli to Srinagar road in Pauri Garhwal District.

It is Further Certified that :

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire 33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), Gram Sabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;
- c. The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;

c. The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl: As above.

(Sh. D.S. Garhwal)

(District Collector, Pauri Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri Garhwal

No./RB/DESK//4/3-B/RR/925

Dated: 03/09/19

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land processed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified then 33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Authority of India for project of Satpuli to Srinagar road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal falls within jurisdiction of **Mar Gaon, Aali, Rachuli, Bonshal Talla, Jairaj, Kameda, Amkoti, Srikot, Khandah, Srinagar**, in Pauri Garhwal district.

It is further certified then ;

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 33 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the Forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure II
- b) The proposal for such Diversion (with full Details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) The each of Concerned of Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ process under the FRA have been carried out that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the processed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha **Mar Gaon, Aali, Rachuli, Bonshal Talla, Jairaj, Kameda, Amkoti, Srikot, Khandah, Srinagar** village(s) is enclosed as annexure II.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- e) The diversion of Forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA completed and the Gram Sabha have giving their consent to it.
- f) The right of primitive tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


(Sh. D.S. Garhwal)

(District Collector, Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is further certified that minutes of construction of national Highway – 119 (534) Km. 139+00 To 196+00 (Kotdwar to Satpuli) at Kotdwar, Pauri-Garhwal F.R.A. is as following :-

Sr. No.	Particular	Remarks
1	The completed process of identification and settlement of right under the F.R.A. had been carried out for the entire 33,000 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub divisional level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
2	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the F.R.A. have been completed and the Gram Sabhas have been give consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid construction of highway is attached.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribe group and pre agriculture communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

3/5/19
Member District Officer
Pauri Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल

21/1/19
District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
गढ़वाल

21/1/19
Divisional Forest Officer
Kotdwar
विवेक कुमार
गढ़वाल

21/1/19
Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय हाईवे
बुलडोजर (पिंडी गढ़वाल)

21/1/19
Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल

**OFFICE OF THE DEPUTY
COMMISSIONER DISTRICT PAURI (U.K)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) .2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district , constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.S Garhiyal Deputy Commissioner Pauri Garhwal on dated ~~02/05/19~~^{14/05/19} at time ~~5:40~~^{5:40} at Pauri in which application claim in rights in ~~.....~~^{.....} area measuring Hect for the construction of Pauri forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pauri and Srinagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection / and claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose .

Place : Pauri

Dated: ¹⁴~~02~~/¹⁰~~05~~/2019

^{B.R.}
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level Committee

जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक ^{14/12/19} 05/03/19 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में जनजाति एवं उन्मत्त परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संगन्धी गैठक रही।:-

- 1-सर्व श्री धीराज सिंह गब्याल जिलाधिकारी गढ़वाल
- 2-~~लक्ष्मण सिंह रावल~~ प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पौड़ी
- 3-SUNITA ARORA जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी
- 4-संतोष कुमार रेवेलवाल अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी

जिलाधिकारी
अध्यक्ष
गढ़वाल
वन सहायक
वन प्रभाग, पौड़ी
सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल
सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल

बताया गया है कि पौड़ी तहसील में सतपुली से श्रीनगर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप - स्तरीय समिति वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यावाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं।

मार्गों का विवरण निम्नवत है:-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग -119 सतपुली से श्रीनगर मोटर मार्ग के अन्तर्गत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 80 कि०मी० है। इस मोटर मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र 4.367 हे०, सिवल एवं सोयम वन क्षेत्र 20.115 हे०, वन पंचायत वन क्षेत्र 0.151 हे० तथा मलवा निस्तार भूमि 07.92 हे० प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि पर कोई आदिवासी/जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से गाढ़ का मरगाँव, आली, रछूली, बौंसाल तल्ला, जयराज, कमेडा, अमकोटी, पैडुल, डांग, श्रीकोट, खण्डाह, श्रीनगर लाभान्वित होंगे। इन गांवों को जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोटद्वार से सतपुली मोटर मार्ग को निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र 4.367 हे० तथा सिविल एवं सोयम वन क्षेत्र 20.115 हे० वन पंचायत वन क्षेत्र 0.151 हे० एवं मलवा निस्तारक 7.92 हे० भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग को खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया है।

be
धीराज सिंह गडवाल
जिलाधिकारी गडवाल।
जिलाधिकारी

॥ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० धुमाकोट ॥

पत्रांक

दिनांक 14/10/2019

प्रतिलिपि—

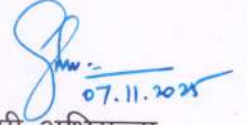
1. जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पौड़ी, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

रसी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अभियन्ता अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
दुमकोट -पौड़ी

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 है) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का Lay Out Plan नहीं बदला जायेगा।

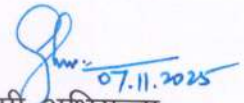


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

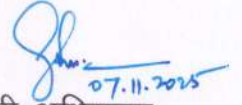
प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानून स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।



अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

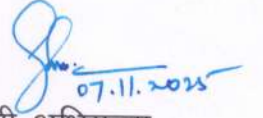
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स जिस पर Forward Backward Bearings अंकित हो, द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा।



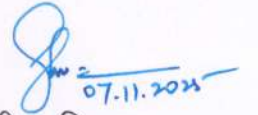
अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

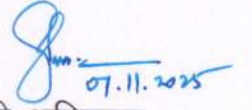


अधिसासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।



अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।



07.11.2015

अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

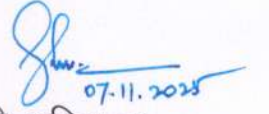


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी द्वारा ली जायेगी।

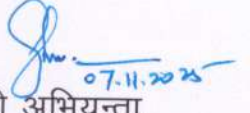


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/534 किमी. 196.00 से 276.00 सतुपली—श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.962 है. (पूर्व में 32.553 हे) वन भूमि का गैर वानकि कार्यों हेतु रा. रा. लो. नि. वि. श्रीनगर को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UKROAD/45296/2020).

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा (यदि लागू हो)।


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर